न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–231/2016
आरसीएमएस नं. 2016/00265
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

1– भजन कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस. आर.डब्ल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2– सुखविन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह) धर्मपत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी फतेहाबाद, मोहल्ला सुन्दरनगर, तहसील व जिला फतेहाबाद।
3– गुरमेल सिंह
4– हरमीत सिंह
पुत्रगण स्व0 श्री मोहन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस. आर.डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5– फूला सिंह
6– सरजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह) धर्मपत्नी श्री राणा सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7– गौरव सिंह पुत्र स्व0 श्री अवतार सिह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह नाबालिग आयु 14 वर्ष जरिये कुदरती वलिया व दादी भजन कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1– हरदयाल सिंह
2– जरनैल सिह
3– जगदीश सिंह
पुत्रगण स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह

जाति कम्बोजसिख निवासीगण हनुमानगढ टाउन C/o मै0 लक्ष्मण सिंह–हरदयाल सिंह, दुकान नंबर 37, नई अनाज मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4– लाभ सिह पुत्र श्री हरी सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5– कर्मजीत कौर धर्मपत्नी श्री मनीपाल सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह
6– नरेन्द्र सिंह
7– जितेन्द्र सिंह
8– हरजीत सिंह
पुत्रगण स्व0 श्री दलवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9– राजेन्द्र कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री दलवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
जाति कम्बोजसिख निवासी हनुमानगढ़ टाउन C/o मै0 लक्ष्मण सिंह–हरदयाल सिंह, दुकान नंबर 37, नई अनाज मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10– लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री बिशन सिह (फौत) (वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व 5 से 9)

11– हरमन सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह

12– हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह

13– लखवीर कौर धर्मपत्नी श्री जरनैल सिंह

14– कैप्टन सिंह पुत्र श्री जगदीश सिह

15– मनीपाल सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह
जाति कम्बोजसिख निवासी हनुमानगढ़ टाउन C/o मै0 लक्ष्मण सिंह–हरदयाल सिंह, दुकान नंबर 37, नई अनाज मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16– नरोतम सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह

17– जगदीश सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह

18– मलकीयत सिंह पुत्र स्व0 श्री सन्ता सिंह

19– परमजीत कौर धर्मपत्नी श्री जगदीश सिंह

20– निर्मल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह

21– हरी सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह
जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22– जसवन्त सिंह पुत्रगण श्री दीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सनसिटी कॉलोनी,

23– कलवन्त सिंह टिब्बी रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

24– जोगेन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री हरी सिंह (फौत) (वारिस रेस्पोडेंट संख्या 4)

25– चरण सिंह

26– गुरदेव सिंह पुत्रगण स्व0 श्री केसर सिंह

27– इन्द्र सिंह

28– हजारा सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह
जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

29– गुरदेव सिंह पुत्र श्री साधू सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

30– कुलजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री दलवीर सिंह) धर्मपत्नी श्री अमरीक सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मोहला, तहसील मलोट, जिला मुक्तसर (पंजाब)।

31– सन्तोख सिंह पुत्रगण स्व0 श्री करतार सिह जाति कम्बोजसिख निवासीगण चक 13 एच.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

32– इन्द्रजीत सिंह एम.एच. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
33– गुरदीप सिंह
34– अमरकौर धर्मपत्नी श्री गुरदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री करतार सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 13 एच.एम.एच. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
35– गुरदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरेण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सुल्तानपुर तहसील सुल्तानपुर जिला जलन्धर (पंजाब)।
36– बलदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरेण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
37– प्यारा सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरेण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
38– रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरेण सिंह (फौत)
38/1–मनजीत कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री रणजीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नंबर 58, सुरेशिया 100 फीट रोड़ राज ई.मित्रा के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
38/2–पवित्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नंबर 58, सुरेशिया 100 फीट रोड़ राज ई.मित्रा के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
38/3–गगनदीप कौर (पुत्री स्व0 श्री रणजीत सिंह) धर्मपत्नी श्री गुरचरण सिह पुत्र कुलवन्त सिंह गांव 6–वाई, कालिया, पोस्ट ऑफिस, जिला श्रीगंगानगर।
38/4–राजविन्दर कौर (पुत्री स्व0 श्री रणजीत सिंह) धर्मपत्नी श्री संदीप सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
39– कुलवन्त कौर (पुत्री स्व0 श्री सुरेण सिंह) धर्मपत्नी श्री दीदार सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 73 आर.बी., तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
40– सुरजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री सुरेण सिंह) धर्मपत्नी श्री हरजिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी उमरिया, तहसील बाण्डा, जिला श्री शाहजहांपुरा (उत्तर प्रदेश)।

41– बलविन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री सुरेण सिंह) धर्मपत्नी श्री दीदार सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नंबर 9, टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
42– तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
43– तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

उपस्थित :– 1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––अपीलाण्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. श्री अमरजीत सिंह सन्धू अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं0 1 से 3, 5 से 9,11, 13, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 37
3. श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री दलवीर सिंह अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 25 व 26
5. श्री खुशप्रीत सिंह सन्धू अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 38/1 व 38/2
6. श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता––रेस्पोडेंट सं0 42 व 43 की

ओर से

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, प्रकरण संख्या 631/2013 शीर्षक "हरदयाल सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह आदि" व आदेश क्रमांक 568 दिनांक 05.05.2014

निर्णय

दिनांक :– 19.07.22

1. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 व आदेश क्रमांक 568 दिनांक 05.05.2014 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 1 एस.आर.डब्ल्यू., चक 2 एस.आर.डब्ल्यू, चक 12 सी.डी.आर. व चक 13 एच.एम.एच. के विभिन्न खातो की भूमि का उल्लेख करते हुए वादपत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित अनुसार घरू बंटवारा का कथन करते हुए घोषणा व खाता विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया। इस वादपत्र में वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ अलग अलग राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस राजीनामा के आधार पर दिनांक 10.03.2014 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की तथा उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश क्रमांक 568 दिनांक 05.05.2014 पारित कर चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/126 की शेष बची कृषि भूमि पत्थर नंबर 225/275 (53) किला नंबर 2, 3, 8, 13 कुल 1.012 है0 में दर्ज खातेदारों के नाम बदस्तुर रखे जाने का आदेश फरमाया। अपीलाण्ट का यह कथन है कि इस आदेश के अनुसरण में रेस्पोडेंट संख्या 42 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ने बिना इंतकाल दर्ज किये इस खाता में अपीलाण्ट के पूर्वज स्व0 श्री मोहन सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह के नाम दर्ज कुल 0.963 है0 को कतई गलत रूप से 0.136 है0 दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट ने इस तथ्य का ज्ञान खाता संख्या 136/132 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15.07.2016 प्राप्त करने पर होने का कथन करते हुए यह अपील ज्ञान के दिवस से प्रस्तुत कर उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. अपीलाण्ट के अधिवता ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुए मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 क प्रभावी भाग में वाक्यांश "वादीगण एवं प्रतिवादीगण का इसी अनुसार खाता अलग अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे, इस कृषि भूमि में दर्ज अन्य खातेदारों के नाम कलमजन किये जावे" कतई गलत व विधि विरूद्ध था। अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाते हुए जिन खातेदारों के खाते अलग कायम किये जाने का निर्णय पारित किया था, उन खातेदारों का नाम शेष खातो में कलमजन किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था और निर्णय व डिक्री के प्रभावी भाग में अंकित क्रियात्मक आदेश के कारण भ्रांति की स्थिति पैदा हुई। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किये है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के 10 खातों को सम्मिलित किया गया था। इन खातो में से खाता संख्या 132/126 में कुल 7.755 है0 भूमि थी व इस खाता में अपीलाण्ट के पूर्वज स्व0 श्री मोहन सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का 0.963 है0 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 05.05.2014 की आड़ में बिना कोई इंतकाल दर्ज हुये इस खाता की शेष भूमि पत्थर नंबर 225/275 (53) के किला नंबर 2, 3, 8, 13 तादादी 1.012 है0 में स्व0 श्री मोहन सिंह का 0.963 है0 की बजाय गलत रूप से 0.136 है0 दर्ज कर दिया गया जबकि स्व0 श्री मोहन सिंह के वारिसान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी भूमि का कोई खाता विभाजन नहीं करवाया व ना ही अपनी 0.963 है0 भूमि के बदले अन्य कोई भूमि विभाजन में प्राप्त की। ऐसी स्थिति में खाता संख्या 132/126 में उनका दर्ज हिस्सा 0.963 है0 यथावत् रहना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व आदेश दिनांक 05.05.2014 के प्रभाव से अपीलाण्ट का 0.963 है0 में से 0.827 है0 कम किया जाकर उनकी 0.136 है0 गलत रूप से अंकित हुई है जिससे उनके विधिक अधिकार प्रभावित हुये है। अपीलाण्ट ने वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुये अपील में यह भी कथन किया है कि चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/126 तादादी 7.755 है0 में हरी सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का 1.153 है0 व उसकी धर्मपत्नी श्रीमति जोगेन्द्र कौर का 0.260 है0 कुल 1.443 है0 ही था तथा अपीलाधीन डिक्री के अन्तर्गत श्री हरी सिंह के पुत्र लाभ सिंह रेस्पोडेंट संख्या 4 को 2.240 है0 भूमि विभाजन में दे दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 4 को इस खाता में उसके माता पिता की 1.413 है0 से अधिक 0.827 है0 देते हुये उसे 2.240 है0 भूमि विभाजन में दी गई है तथा उक्त 0.827 है0 हिस्सा गलत रूप से अपीलाण्ट की भूमि में से कम कर उनके नाम 0.136 है0 दर्ज की गई है जबकि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 4 के मध्य कोई तबादला या अन्य कोई व्ययन किसी किस्म का नहीं था व अपीलाण्ट के नाम दर्ज 0.963 है0 में से 0.827 है0 भूमि कम कर रेस्पोडेंट संख्या 4 के नाम नही की जा सकती थी। अपीलाण्ट ने अपील में यह भी कथन किया है कि खाता संख्या 132/126 में स्व0 श्री केसर सिंह का घरू बंटवारा के अनुसार मात्र 1.998 है0 भूमि पर ही कब्जा काश्त था तथा यह भूमि जरिये

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री स्व0 श्री केसर सिंह के पुत्र श्री इन्द्र सिंह ने विभाजन में प्राप्त कर ली थी तथा इंतकाल संख्या 626 दिनांक 12.06.2013 के जरिये उसका खाता भी अलग कायम हो चुका था व खाता संख्या 132/126 में उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 श्री केसर सिंह के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 25 से 27 प्रतिवादीगण संख्या 16 से 18 के रूप में पक्षकार थे तथा उनके द्वारा उक्त खाता में दर्ज शेष भूमि 0.342 है0 के संबंध में कोई काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि रेस्पोडेंट संख्या 27 अर्थात् प्रतिवादी संख्या 18 इन्द्र सिंह द्वारा ही काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया था तथा उसके द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम में भी उक्त वर्णित 0.342 है0 भूमि शामिल नहीं थी। यदि वास्तव में उक्त खाता संख्या 132/126 में स्व0 श्री केसर सिंह के वारिसान का 0.342 है0 हिस्सा शेष रहता तो निश्चित रूप से स्व0 श्री केसर सिंह के उक्त वारिसान द्वारा क्लेम किया जाता। इस खाता की भूमि में स्व0 श्री केसर सिंह के वारिसान का कथित 0.342 है0 पर कब्जा भी नहीं था। अपीलाण्ट ने अपील में यह कथन भी किया है कि स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह का उक्त खाता संख्या 132/126 में 1.329 है0 दर्ज था लेकिन घरू बंटवारा में उनके कब्जा काश्त में 0.987 है0 भूमि ही थी जो रेस्पोडेंट संख्या 2 जरनेल सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह ने 0.728 है0, रेस्पोडेंट संख्या 13 लखवीर कौर धर्मपत्नी जरनेल सिंह ने 0.253 है0, रेस्पोडेंट संख्या 11 हरमन सिह पुत्र श्री जरनेल सिंह 0.006 है0 अलग अलग विभाजन में प्राप्त कर ली। शेष 0.342 है0 भूमि लक्ष्मण सिंह के कब्जा काश्त में नहीं थी। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने यह कथन भी किया है कि चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के उक्त खाता संख्या 132/126 में गुरदीप सिंह–बलदेव सिंह पिसरान सुरेण सिंह रेस्पोडेंट संख्या 35 व 36 अपना समस्त हिस्सा मुन्तकिल कर चुके थे तथा इस खाता में उनका कोई कब्जा नहीं था तथा इस खाता में उनके नाम 0.144 है0 गलत रूप से दर्ज चली आ रही थी व इस प्रकार इस खाता संख्या 132/126 में केसर सिंह का 0.342 है0, लक्ष्मण सिंह का 0.342 है0 व गुरदीप सिंह–बलदेव सिंह पिसरान सुरेण सिंह का 0.144 है0 कुल 0.828 है0 विलोपित होने योग्य था तथा घरू बंटवारा अनुसार यह भूमि लाभ सिंह रेस्पोडेंट संख्या 4 के कब्जा काश्त में थी तथा इसी कारण रेस्पोडेंट संख्या 4 को अपने पिता व माता के नाम दर्ज कुल 1.413 है0 से अधिक 2.240 है0 भूमि विभाजन में प्राप्त हुई। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया है कि चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता सख्या 132/126 में रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 के नाम 1.532 है0 दर्ज था तथा उन्होनें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने घरू बंटवारा में प्राप्त पत्थर नंबर 226/274 के किला नंबर 6, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.518 है0 भूमि खाता विभाजन में चाही थी तथा शेष 0.013 है0 भूमि का परित्याग किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती आदेश क्रमांक 568 दिनांक 05.05.2014 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फर्द अहकाम पर कोई हवाला भी नहीं दिया व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त आदेश के परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/126 में दर्ज 0.963 है0 की बजाये 0.136 है0 दर्ज हो गई। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि स्व0 श्री केसर सिंह का चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/126 में 2.340 है0 का हिस्सा था तथा इस खाता में स्व0 श्री केसर सिंह का 1.998 है0 भूमि पर ही कब्जा काश्त था तथा स्व0 श्री केसर सिंह के पुत्र इन्द्र सिंह ने जरिये डिक्री उक्त 1.998 है0 भूमि का खाता विभाजन करवा लिया था तथा इन्तकाल संख्या 626 के जरिये इस भूमि का खाता अलग कायम हो चुका था व इस खाता में स्व0 श्री केसर सिंह के नाम 0.342 है0 भूमि शेष नहीं रही थी। यदि इस खाता में स्व0 श्री केसर सिंह के नाम 0.342 है0 भूमि दर्ज होती तो निश्चित रूप से प्रतिवादी संख्या 18 इन्द्र सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउंटर क्लेम में खाता संख्या 132/126 में अपने पिता स्व0 श्री केसर सिंह के नाम दर्ज 0.342 है0 के संबंध में भी काउंटर क्लेम प्रस्तुत करता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता संख्या 132/126 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.06.2013 प्रस्तुत हुई है जबकि इंतकाल नंबर 626 दिनांक 12.06.2013 के जरिये इस खाता में से प्रतिवादी संख्या 18 के नाम 1.998 है0 भूमि का खाता विभाजन हो चुका था। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा ना तो तस्दीक हुआ है व ना ही आदेशिका में इस राजीनामा का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.03.2014 को निर्णय पारित करने के उपरांत दिनांक 05.05.2014 को पत्र क्रमांक 568 जारी किया है जिसका भी फर्द अहकाम में उल्लेख नहीं है तथा इस आदेश के आधार पर कोई इंतकाल भी दर्ज नहीं हुआ तथा खाता संख्या 136/132 की शेष रही 1.012 है0 में अपीलाण्ट का हिस्सा 0.963 है0 से कम कर 0.136 है0 दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत हुये राजीनामा के आधार पर ना तो पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का विवेचन किया व ना ही इस तथ्य पर गौर किया कि अपीलाण्ट के पूर्वज स्व0 श्री मोहन सिंह का चक 1 एस आर डब्ल्यू के खाता संख्या 132/126 में दर्ज 0.963 है0 किस आधार पर कम किया जाकर 0.136 है0 दर्ज किया गया। उक्त तर्क देते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9, 11, 13 से 15, 22, 23 व 27, 28 व 37 के विद्वान अधिवक्ता व रेस्पोडेंट संख्या 28/1 व 38/2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाण्ट के कथनों से सहमति प्रकट की।

5. रेस्पोडेंट संख्या 25 व 26 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि चक 1 एस.आर. डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/126 में स्व0 श्री केसर सिंह का 2.340 है0 हिस्सा था जिसमें से रेस्पोडेंट संख्या 27 ने 1.998 है0 भूमि खाता विभाजन में प्राप्त कर ली तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्व0 श्री केसर सिंह की शेष 0.342 है0 वर्तमान खाता संख्या 36/132 में सही दर्ज है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 ने यह कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 4 को अपने माता पिता का 1.413 है0 के अलावा केसर सिंह व लक्ष्मण सिंह तथा गुरदीप सिंह व बलदेव सिंह के साथ हुये तबादला अनुसार उनकी कुल 0.828 है0 भूमि रेस्पोडेंट संख्या 4 के नाम दर्ज हुई है तथा राजस्व अभिलेख में केसर सिंह का 0.342 है0, लक्ष्मण सिंह का 0.342 व गुरदीप सिंह–बलदेव सिंह पिसरान सुरेण सिंह का 0.144 है0 राजस्व अभिलेख में विलोपित होने योग्य था तथा उक्त प्रविष्टियां विलोपित की जाकर अपीलाण्ट का 0.136 है0 के स्थान पर 0.963 है0 किया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण डिक्री को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इस तर्क का रेस्पोडेंट संख्या 27 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 ने वादपत्र प्रस्तुत कर चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के विभिन्न खातो व चक 2 एस.आर.डब्ल्यू., 12 सीडीआर व चक 13 एच.एम.एच. के विभिन्न खातो की भूमि का उल्लेख करते हुए वादपत्र की चरण संख्या 6 में घरू बंटवारा का उल्लेख किया है तथा इसी अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। इस वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 18 इन्द्र सिंह ने जबाव दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 146/145 में 0.140 है0 भूमि के संबंध में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है व प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 ने चक 1 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/116 तादादी 7.755 है0 में अपने नाम दर्ज 1.532 है0 के संबंध में काउंटर क्लेम की चरण संख्या 13 में वर्णित भूमि का खाता अलग कायम करने का निवेदन किया है व तत्पश्चात दिनांक 20.01.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए 1.532 है0 के स्थान पर 1.518 है0 की हद तक ही खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया है व 0.013 है0 भूमि को कम किये जाने का उल्लेख किया है। तत्पश्चात पत्रावली पर एक राजीनामा अदिनांकित प्रस्तुत हुआ है। इस राजीनामा पर पीठासीन अधिकारी के कोई हस्ताक्षर भी नहीं है तथा ना ही यह राजीनामा न्यायालय के समक्ष तस्दीक हुआ है बल्कि राजीनामा की पुश्त पर राजीनामा प्रस्तुतकर्ताओं के मात्र हस्ताक्षर व अंगूठा ही है। यह राजीनामा किस तिथि को प्रस्तुत हुआ, का भी फर्द अहकाम में उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन करने पर भी पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किये बिना कथित राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की है तथा निर्णय के प्रभावी भाग में राजीनामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते अलग कायम किये जाने का आदेश देते हुये इस कृषि भूमि के खातो में दर्ज अन्य खातेदारों के नाम कलमजन कर दिये जाने के आदेश दिये है जबकि खाता विभाजन उपरांत जिन खातेदारों के खाते अलग कायम किये गये है उनका खातो में नाम

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कलमजन किये जाने के आदेश पारित किये जाने थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2014 को डिक्री पारित किये जाने के पश्चात आदेश क्रमांक 568 दिनांक 05.05.2014 किन परिस्थितियों में पारित किया गया, का भी कोई उल्लेख नहीं है व ना ही इस संबंध में तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी से कोई मार्गदर्शन मांगे गये है। उक्त आदेश दिनांक 05.05.2014 के परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की भूमि चक 1 एस. आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 132/126 में 0.963 है0 की बजाय 0.136 है0 दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 4 व स्व0 श्री केसर सिंह, लक्ष्मण सिंह तथा गुरदीप सिंह व बलदेव सिंह पिसरान सुरेण सिंह के मध्य हुये तबादलों के संबंध में भी कोई विवेचना नहीं की है। इस प्रकार अपील में अपीलाण्ट द्वारा अंकित आधारों की पुष्टि होती है। उभय पक्षों के तर्को पर मनन करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत रूप से पारित किया जाना नहीं पाया जाता। परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति कायम करते हुये यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 तथा आदेश क्रमांक 568 दिनांक 05.05.2014 को अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ यह पत्रावली रिमाण्ड की जाती है कि वह अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2014 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल करते हुए सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण कर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे तथा दोनो पक्षों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.08.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.7.22 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

19/7/22

(करतार सिंह पूनियाँ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़